न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 01/2026 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
जयराम पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल गुर्जर निवासी खवारावजी तहसील पापडदा जिला दौसा
....प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कजोड
2. भगवान सहाय पुत्र कजोड
3. लाली बेवा रमेश
4. गीता बेवा छोटेलाल
5. माया देवी पत्नि रामखिलाडी
6. चिंटू पुत्री रामखिलाडी
7. रामकेश पुत्र छोटेलाल
8. सतीश पुत्र रामखिलाडी
   समस्त जाति जोगी निवासी ख़वारावजी तहसील पापडदा जिला दौसा
9. श्री मनोज कुमार तहसीलदार महोदय, पापडदा जिला

......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अ० धारा 54 LR Actबाबत प्रकरण सं0 19 / 25 अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, पापडदा

उपस्थित : 1. श्री एम0एल.गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01से 08

–:: निर्णय ::– दिनांक: 10.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार पापडदा में प्रार्थना पत्र अ० धारा 54 LR Actबाबत प्रकरण सं0 19/25 को किसी भी दीगर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश कियागया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार पापडदा से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी के मृतक पिता मांग्या के विरूद्ध एक नोटिस तहसीलदार महोदय, पापडदा द्वारा जारी फरमाया गया नोटिस मे उपस्थिती दिनांक 10.12.2025 हेतु आज्ञा। प्रार्थी का पिता दिनांक 10.05.2023 को फौत हो चुका है। दिनांक 10.12.2025 को प्रार्थी/अधिनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं उज्रात प्रार्थना पत्र उज्रात की फोटो प्रति संलग्न की गयीं रीडर महोदय ने आगामी तारीख पेशी नही दी। इस पर प्रार्थी 16.12.2025 को अरोग्य व समस्या समाधान शिविर खवारावजी में पुनः प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुआ प्रार्थना पत्र को तहसीलदार जी द्वारा मार्क किया साथ ही प्रतिलिपी का प्रार्थना पत्र दिया गया तहसीलदार महोदय ने 3 दिवस बाद प्रकरण की नकल चाही तो प्रार्थी ने नकल जो चाही गयी उसे देने से मना कर दिया व कहा कि 08.01.2026 को आज प्रार्थी के पिता के विरूद्ध धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रकरण दर्ज कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंधन बेजा कार्यवाही विपक्षी से मिलकर की जा रही है। इससे प्रार्थी का अधिनस्थ तहसीलदार महोदय से प्रकरण बेजा दर्ज शुदा की कार्यवाही से विश्वास उठ गया है।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

प्रार्थी के पिता के विरूद्ध इस आराजी बाबत एस.डी.ओ दौसा व एस.डी.ओ नांगल राजावतान के समक्ष रेवन्यू दावा चल चुका है। दावा विपक्षीगण का अवैट मानते हुए दिनांक 04.06.2018 को खारिज हो चुका है जिसकी कोई अपील भी आज दिनांक तक पेश नही हुई है। अधिनस्थ तहसीलदार महोदय को न्यायालय निर्णय के7–8 वर्ष बाद नामान्तरण की कार्यवाही सुनवायी का कतई अधिकार नही है नामान्तकरण दिनांक को हुए 50 वर्ष हो गये हैं ऐसी स्थिती में तहसीलदार महोदय धारा 135 (2) एल. आर. एक्ट के तहत नामान्तरण पूर्व तस्दीकी शुदा की खारिज बिना कैसे सुना सकते है प्रथम दृष्टया ही प्रकरण दर्ज कर सुनवायी का अधिकार तहसीलदार महोदय को नही है तो फिर भी बेजा कारगुजारी जारी रखे हुए है। प्रार्थी के उज्रात को शामिल कर श्रवणाधिकार बाहर प्रकरण को ड्रोप नही कर रहे है। एस.डी.ओ के न्यायालय के अधिकारात से भी उपर जाकर, पूर्व न्याय निर्णय रेसज्युडिकेटस के सिद्धांत को नही मान रहे है। सामान्य न्याय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भविष्य मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही जा रही है। अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, न्याय निती विधि विधान को बलाय ताक रख कर श्रवणाधिकार से बाहर प्रकरण दर्ज कर गलत सुनवायी कर रहे है तहसीलदार महोदय, की मनमानी की वजह से प्रार्थी उक्त लंबित प्रकरण की सुनवायी तहसीलदार पापडदा से नही कराना चाहता है। ऐसी सूरत मे यह मिसल अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, विपक्षीगण से मिलकर मेरे कानूनी गैर श्रवणाधिकार बाहर प्रकरण चलाये हुए है। तहसीलदार महोदय का रवैया न्याय किया जाना सिद्ध नही हो रहा है बल्कि रेवेन्यू कोर्ट से उपर जाकर सुनवायी कर रहे है। ऐसी सूरत प्रार्थी द्वारा मांग्या का उत्तराधिकारी पुत्र एग्रीड पर्सन होने की गरज से प्रार्थना पत्र अन्तरण मिसल पेश किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा मृतक पिता मांग्या की मृत्यु व निर्णित वाद न्याय की बाबत उज्रात पेश किये है परन्तु आज दिन तक प्रार्थी को पक्षकार बना कर सुनवायी नही की जा रही ना ही मांग्या के अन्य हिन्दू वरिसान को सुना जा रहा है तहसीलदार महोदय की नियत गलत झलक रही है वह विपक्षीगण के हक में बेजा नामान्तरण की कार्यवाही दिनांक 08.01.2026 को अवश्य करेगे ऐसी सूरत मे तहसीलदार महोदय को प्रकरण की सुनवायी किये जाने हेतु निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र पेश है।अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण सं0 19/2025 लंबित नामान्तरण अ० धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की सुनवायी स्थानान्तरित कर जिले के अन्य किसी सक्षम तहसीलदार महोदय को अन्तरित इस निर्देश के साथ फरमायी जावे कि प्रार्थी द्वारा पेश उज्रात को शामिल मिशल कर प्रथम दृष्टया उज्रात की सुनवायी कर आगे की कार्यवाही की जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 8 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं निराधारों पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी रामजीलाल वगै0 द्वारा एक अपील उपखंड अधिकारी दौसा के न्यायालय में उनवानी रामजीलाल बनाम मांग्या प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 21.6.2013 को राजीनामा हो गया है। एवं ग्राम पंचायत खवारावजी के द्वारा पारित नामान्तरण सं0 308 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार को रिमांड किया गया है कि राजीनामे के अनुसार नामान्तरण तस्दीक करें। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. तहसीलदार पापडदा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, मिथ्या, मनगढ़न्त अंकित किये गये है। जबकि पत्रावली में तारीख पेशी नियमित दी जा रही है तथा आगामी तारीख पेशी 20.1.2026 साक्ष्य में नियत है। प्रकरण में दोनों पक्षों को पूर्ण सुनवाई कर नियमानुसार न्यायसंगत निर्णय किया जायेगा। फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी जयराम द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं0 1/2026 एवं अधीनस्थ तहसीलदार पापडदा की तथ्यात्मक रिपोर्ट का विस्तृत अनुशीलन किया गया। प्रार्थी का मुख्य आरोप है कि अधीनस्थ न्यायालय विपक्षीगण से मिलकर उसके मृत पिता के विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्यवाही कर रहा है। प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया है कि प्रकरण पूर्व न्याय **(Res-Judicata)** के सिद्धान्त से बाधित है क्योंकि एस0डी0ओ0 न्यायालय से पूर्व में आदेश पारित हो चुके है।

8. पत्रावली के आलवेकन से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरण संख्या 308 दिनांक 21.6.2023 रिमांड के पश्चात वर्तमान में साक्ष्य हेतु नियत है। तहसीलदार पापडदा की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा रहा है। जहॉ तक प्रार्थी द्वारा लगाये गये मिलीभगत व पक्षपात के आरोपों का प्रश्न है, प्रार्थी ने इन आरोपों की पुष्टि हेतु कोई ठोस एवं प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र इस आशंका के आधार पर कि निर्णय उसके विरूद्ध हो सकता है, प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना विधिक रूप से उचित नहीं है।

9. विधिक स्थिति स्पष्ट है कि यदि प्राथी को अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार या पूर्व न्याय **(Res-Judicata)** के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह उसी न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान अपनी बात रखने हेतु स्वतंत्र है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा नियत प्रकिया के तहत सुनवाई करना किसी भी पूर्वाग्रह की श्रेणी में नहीं आता है।

10. अतः प्रार्थी जयराम द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार **(Reject)** किया जाता है। अणीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पापडदा को निर्देशित किया जाता है कि वह गुणदोष के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निष्पक्ष होकर प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार पापडदा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official